झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

: संकल्प :

सं. सं.–5/स.भू. दुमका–107/15...3261.../रा. राँची, दिनांक–...30-05-16

विषयः– **झारखण्ड राज्य अन्तर्गत संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने की शक्ति संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में।**

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–23.3.2010 के मद संख्या–34 "अन्यान्य" में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय परिपत्र संख्या–1245/रा. दिनांक–06.05.2010 के द्वारा मात्र अन्तर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों का निस्तार की शक्ति संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है।

2. संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 की धारा–38 में गोचर भूमि को बंदोबस्त आदि नहीं किया जा सकता है। परन्तु लोक प्रयोजन हेतु अवसंरचना परियोजनाओं हेतु अर्जित/हस्तांतरित की जाने वाली भूमि के परिधि में गोचर भूमि रहने पर गोचर भूमि को भी अर्जित/हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। महाधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में जितनी गोचर भूमि अर्जित/हस्तांतरित हेतु आवश्यक है, उतनी ही अन्य भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित कर अर्जित/हस्तांतरण की कार्रवाई की जा सकती है।

3. महाधिवक्ता, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका प्रक्षेत्र में गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने की शक्ति संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में परामर्शित किया गया है कि "Whenever it becomes inevitable or necessary to dereserve any Gochar for any public purpose (Which as stated above should be as a last resort), the following procedure contemplated in regulation 24 and 25 and section 38(2) should be strictly followed:-

(a) The Jurisdictional Deputy Commissioner shall prepare a note/report giving the reasons why the Gochar had been identified for any non grazing public purpose and record the non availability of other suitable land for such public purpose. The deputy commissioner shall send the said proposal for de-reservation to the state Government for its previous sanction.

(b) The state government should consider the request for sanction keeping in view the object of Gochar and the need for maintaining a minimum of 5% of village area as Gochar, and call for suggestions/objections from the villagers before granting sanction.

(c) If the state Government grants the sanction, the Deputy Commissioner should proceed to make an order de reserving, the Gochar by making appropriate entrees in the record of rights and reclassify the same for the purpose for which it was de reserved.

(d) Whenever the Gochar in a village is de reserved and diverted to non grazing use, simultaneously or atleast immediately thereafter the state should make available alternative land as Gochar, in a manner and to an extent that the Gochar continues to be not less than 5% of the total extent of the village as provided under section 38(2) of the Tenancy Act."

" When the Gochar is not Government land, but is village common land resting in the villagers and not the Government, the consent of the village headman and the Jamabandi Raiyats/Villagers in whom the land vests shall have to be obtained before de reservation and diversion of use of Gochar.

It appears from the records that necessary formalities as per law have been complied and the substituted land has also been proposed, therefore I do not find any impediment for the State Government in taking a final decision in the matter as proposed.

4. अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–25.05.2016 में मद संख्या–14 के रूप में मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने की शक्ति संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित किया जाता है।

**आदेशः– इस संकल्प को ई–गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाएगा।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(उदय प्रताप) 30/05/16

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या–5 / स.भू. दुमका–107 / 15.....3261...... / रा., राँची, दिनांक–....30-05-16......

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, डोरण्डा, झारखण्ड, राँची / योजना–सह–वित्त विभाग झारखंड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

2 राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ तथा नोडल पदाधिकारी ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

3. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / सभी अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / राजस्व पर्षद / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/05/16

सरकार के संयुक्त सचिव